www.aisectuniversityjharkhand.ac.in | Follow us on:

AISECT UNIVERSITY™

JHARKHAND, HAZARIBAG AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Recognized by : UGC

(Banking Law & Practice in India)

(B.COM. SEM - V)

Contact us:

8252299990

8404884433

AISECT University, Hazaribag

Matwari Chowk, in front of Gandhi Maidan, Hazaribag (JHARKHAND)-825301

www.aisectuniversityjharkhand.ac.in info@aisectuniversityjharkhand.ac.in

(Banking Law & Practice in India)

CBCP501

B.COM. V SEMESTER

Q. No-(1):–बैंक को परिभाषित कीजिए। इसके आधारभुत कार्य बताइए।
Define Bank. Explain basic functions of it.

Ans:- बैंक उस विसाय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है लोग अपनी बचत राशि की सुरक्षा की दृष्टि से अथवा व्याज कमाने के हेतु इन संस्थाओं में जमा करते है और आवश्यकतानुसार समय–समय पर निकलते रहते है। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर व्याज कमाते हैं। आर्थिक आयोजन के वर्त्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है।

राशि जमा रखने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अन्य काम भी करते हैं जैसे सुरक्षा के लिए लोगों से उनके अभुषणादि बहुमूल्य वस्तुएँ जमा रख्ना, अपने ग्राहकों के लिए उनके चेको का संग्रहण करना, व्यापारीक बिलों का कटौती करना एजेंसी का काम करना, गुप्त रीति से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना–देना। अतः बैंक केवल मुद्रा का लेन–देन नही बल्कि साख का व्यवहार भी करता है। इसलिए बैंक को साख का सृजनकर्ता भी कहा जाता है। बैंक देश की बिखरी और निठतली सम्पत्ति को केन्द्रित करके देश में उत्पादन के कार्यो में लगाते है जिससे पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन की प्रगति में सहायता मिलती है।

बैंक की परिभाषा (Definitions of Bank)

बैंक शब्द को समझ लेना सरल है किन्तु उसकी परिभाषा देना कठिन है। फिर भी कुछ विद्वानों ने परिभाषा दिये हैं:–

प्रो0 गिलवर्ट के अनुसारः– ''बैंक पूँजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है।''

भारतीय बैंकिग कम्पनी कानून 1949 के अन्तर्गत बैंक की परिभाषा निम्न–शब्दों में दी गई है। ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से जमा करना तथा चेकों ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा माँगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिग व्यवसाय कहलाता हैं और इस व्यवसाय को करनेवाली संस्था बैंक कहलाती है।

वेब्स्टर शब्द कोष के अनुसार–''बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन जमा संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएँ प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है।

Characteristics of Banks

बैंक की विशेषताएँ:–

प्रो0 सरजन पेजेटने किसी व्यक्ति या संस्था को बैंकर होने की निम्न तीन विशेषताएँ बताई है।

(i) मुख्य व्यवसाय (Main Business) :- बैंक या बैंकर वह संस्था या व्यक्ति है जो बैंकिग के काम को ''मुख्य व्यवसाय'' के रूप में चलाती है। उसका आर्थिक लेन–देन का काम गौण हो तो वह बैंकर नहीं है।

(ii) प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि (prestige & popular):- बैंक या बैंकर वही संस्था या व्यक्ति का होता है जो समाज में बैंकर के काम के लिए प्रसिद्ध है।

(iii) आय का साधन (Source of income):- कोई व्यक्ति या संस्था बैंकर तमी होती है जब उसकी आय का एकमात्र साधन बैंकिग व्यवसाय है। यदि वह इस व्यवसाय को जीवन निर्वाह के मुख्य साधन के रूप में नहीं अपनाता है तो वह बैंकर नहीं है।

बैंक के कार्य

Functions of Bank

प्राथमिक कार्य (Primary Functions)	द्वितीयक कार्य (Secondary functions)
1. जमा करना (To deposit)	1. एजेंसी के कार्य (function of Agent)
2. ऋण और अग्रिम की मंजूरी प्रदान करना To provide Advance & Loans	2. सामान्य उपयोगिता कार्य General Utility function

(A) प्राथमिक कार्य(Primary Function) :-

(1) जमा करना या जमा स्वीकर करना (To deposit or to accept deposit) बैंक का पहला कार्य ग्राहकों के जमा को स्वीकार करना होता है। बैंक ग्राहकों के नाम से चालू खात. स्थायी जमा खाता, बचत खाता या ग्रह बचत खाता खोल कर ग्राहक के द्वारा दी गयी राशि जमा करती है है।

(2) ऋण एवं अग्रिम पद्रान करना (B Provide loans & advances):- बैंक ग्राहकों को साधारण और अग्रिम ऋण अधिविकर्ष नकद साख या विदेशी नियंत्रों को भुनाकर ऋण प्रदान करता हैं।

(B) द्वितीयक कार्य (Secondary functions) :-

(1) एजेंसी कार्य या अभिकर्त्ता संबंधी कार्य (Agency functions or functions related to Agent)

बैंक अभिकर्त्ता के रूप में धन का हस्तान्तरण ग्राहकों की ओर से भुगतान एवं उसके धन का संग्रह आदि का कार्य करता है।

(2) सामान्य उपयोगिता कार्य या अन्य कार्य (General utilities functions or other functions)

बैंक उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, सरकार के बैंकिग संबंधी कार्य प्रशिक्षण, साख की सुविधा आदि से संबंधित सेवाएँ भी प्रदान करता है।

Q:- Give the meaning of credit. How does the Bank, create credit. Explain.

साख का अर्थ बताइए। एक बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करती है। विस्तार से समझाइए।

Ans:- हिन्दी भाषा का साख शब्द अंग्रेजी के credit शब्द एवं लेटिन भाषा के credo शब्द से बना है।लेटिन भाषा के credit का अर्थ विश्वास से है।इस शब्द का हिन्दी रूपान्तर साख होता है जिसका प्रयोग उधार देने या लेने के अर्थ में किया जाता है। संस्कृत, भाषा के एक शब्द 'cred' है जिसका अर्थ है ''मैं विश्वास कर रहा हूँ '' होता है। इस प्रकार साख का अर्थ विश्वास होता है।

आधुनिक बैंके केवल मुद्रा में लेन–दे नही नहीं करती वरन साख निर्माण का कार्य भी करती है यही कारण है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो0 सेयर्स ने लिखा है कि ''बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है वरन् मुद्रा निर्माण करने वाली संस्था भी है।

साख का परिभाषित करते हुए प्रो0 चीड ने कहा है कि '' साख एक ऐसा विनिमय'' कार्य है जो कुछ समय के पश्चात् भुगतान करने पर पुरा हो जाता है।

जबकि प्रो0 जेक्स महोदय ने कहा है कि '' साख शब्द का अर्थ भुगतान को स्थागित करना है।

कुल मिलाकर हम कह सकते है कि साख एक प्रकार का विनिमय कार्य है जिसमे कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्त्तमान समय में कुछ वस्तुएँ मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान कर रहे हैं कि जो कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा।

बैंक द्वारा साख मुद्रा का निर्माण

साख मुद्रा के संदर्भ में मैथर्स महोदय ने कहा है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएँ नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वह मुद्रा का निर्माता भी है।साख मुद्रा अथवा बैंक मुद्रा का संबंध बैंको के पास जमा की गई उस राशि से होता है जिसे चैंक द्वारा निकाला जा सकता है चूँकि यह माँग पर देय होता है इसलिए इसे माँग जमा अथवा जमा मुद्रा भी कहते हैं। इस प्रकार की बैंक जमा बढ़ने पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है।बैक जमा दो प्रकार की होती है प्रारंभिक जमा तथा ''व्युत्पन्न जमा''। प्रारंभिक जमा का आश्य उन जमा रोगियों से है जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा की जाती है। इस तरह की नकद जमा का निर्माण बैंक नही करती है। अतः इस निष्क्रीय जमा या प्रत्यक्ष जमा कहते हैं।इसके विपरित जब कोई बैंक किसी को ऋण अथवा अग्रिम देता है या प्रतिभूतियों को खरीद कर अपने धन का विनियोग करता है तो ऋण विनियोग की रकम नकद साख खाते में लिख दी जाती है जिसे चैक द्वारा निकाला जा सकता है इस प्रकार

उत्पन्न होने वाली जमा राशियाँ व्यूत्पन्न जमा या साख कहलाती है। नकद जमा की वह आधार है जिसके द्वारा साख जमा का आकार निर्धारित होता है। बैंको द्वारा जमा अथवा व्यूत्पन्न निर्माण करने से माँग जमा का निर्माण होता है और अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा की पूर्त्ति में वृद्धि होती है। इस तरह व्यूत्पन्न जमा का निर्माण ही साख मुद्रा का निर्माण है।

साख निर्माण की रितियाँ

Methods of credit creation

1. कागजी मुद्रा का निर्गमन
(Issue of paper currency)

2. जमा राशियों से साख निर्माण
Credit creations through deposits
(a)प्राथमिक जमा राशियाँ अथवा निष्क्रिय जमा
Primary deposits

(b) व्युत्पन्न अथवा सक्रिय जमा राशियाँ
Derived deposit

3. अन्य रितियाँ
(Other methods)

सामान्यतः एक साधारण व्यक्ति का यह जानकर आश्चर्य है कि एक बैंक के पास एक हजार रूपया जमा हो तो वह बैंक पाँच हजार तक साख का निर्माण कैसे कर सकती है। अर्थात् बैंक में जितनी पूँजी जमा होती है उससे कई गुणा अधिक साख का निर्माण वह कर देती है। साख निर्माण की मुख्य रीतियाँ निम्न हैं:–

(1) कागजी मुद्रा का निर्गमन (Issue of paper currency) :-

केन्द्रिय बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन से साख का निर्माण करती है क्योंकि इस मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धातुकोष नहीं रखता। सम्पूर्ण पत्र मुद्रा के बदले में ''निश्चित धातु आइ'' सा अनुपातिक धातु आड़ रखी जाती है तथा शेष पत्र मुद्राओं के लिए केवल प्रतिभुतियों की आड़ ही रखी जाती है अतः कागजी मुद्रा का वह भाग जिसके पिछे घाटिवक आड़ नहीं होती, केन्द्रीय बैंक की साख पर ही बाजार में प्रचालित रहती है। इस प्रकार केन्द्रिय बैंक द्वारा निगर्मित नोट एक प्रकार के साख पत्र ही होते हैं किन्तु ये सभी मुद्राऐं विधिग्रह होती है। अतः इन्हें पूर्णतः बैंक साख नहीं माना जाता है।

(2) जमा राशियों से साख का निर्माण (Credit creation through Deposits):-

आधुनिक समय में बैंक अपने पास दो प्रकार की राशियाँ जमा के रूप में रखता हैं:–

(a) प्राथमिक जमा राशियाँ (Primary Deposits):-

जल कोई ग्राहक बैंक में जमा खाता खोलकर नकद या चैक जमा कराता है तो उसे प्राथमिक या निष्क्रिय जमा राशि कहते हैं बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि जमाकर्ता एक समय में अधिक से अधिक कितनी राशि को निकालते है वह उतनी ही राशि को अपने पास रखकर शेष राशि ग्राहकों को ऋणों या पेशगियों के रूप में उधार देता है।

(b) व्युत्पन्न अथवा सक्रिय जमा राशियाँ (Derived Deposits):-

जब कोई ग्राहक बैंक से ऋण लेता है तब बैंक उसे नकद राशि न देकर उसके नाम का एक खाता खोलकर ऋण राशि उसमें जमा कर देता है। ऋणी संपूर्ण राशि अथवरा छोटी–छोटी राशियाँ के रूप में बैंक से ऋण ली गई राशि निकाल सकता है। बैंक जैसे ही ग्राहक के ऋण खाता खोलकर ऋण राशि उसमें जमा करता है वैसे ही जमा राशि को बराबर साख का सृजन ही जाता है यह जमा राशि सक्रिय जमा राशि कहलाती है। चूंकि ऋण द्वारा जमा राशि से साख का निर्माण होता है इसलिए इसे व्युत्पन्न जमा राशि भी कहते हैं कारण यह है कि इसमें ऋण ली गई राशि सक्रिय मुद्रा की तरह से बैंक से निकाली जा सकती है। ये सक्रिय जमा राशियाँ अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति में विशुद्ध वृद्धि करती है। ऋणी जैसे ही ऋण राशि लौटाता है बैंक के द्वारा व्युत्पन्न जमा स्वतः समाप्त हो जाती है और मुद्रा की कुल पूर्ति में विशुद्ध राशि के बराबर कमी हो जाता।

(3) अन्य रीतियाँ (other methods)

(a) नकद कोषो के प्रतिशत में कमी (Reducing C.R.R):-

यदि बैंक अपने नकद कोष के प्रतिशत में बैंक कमी कर देती बैंक की साख निर्माण की क्षमता बढ जाती हैं। जैसे उक्त उदाहरण में 20% के स्थान पर केवल 10% नकद राशि रखने लगे तो बैंक की साख निर्माण क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती है।

(b) अधिविकर्ष द्वारा साख का निर्माण (Credit Creation through overdraft):-

इस रीति में बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा जितनी राशि जमा की गई उससे अधिक राशि निकालने की अनुमति दे दकती है जिसमें परिणामस्वरूप जितनी राशि अधिविकर्ष के रूप में चलन में आती है उतनी ही मात्रा में साख का निर्माण होता है। अधिविकर्ष की सुविधाऐं प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जाती है। अतः इस प्रयोग सीमित है।

(c) चैंको भुगतान (Payment through cheque):-

जब बैंक खरीदी गई प्रतिभूतियों को भुगतान चैक से करते है तब प्रतिभूति बेचने वाला व्यक्ति चैक को तुरन्त न भुनाकर आवश्यकता पड़ने पर ही उसे भुनाता है। ऐसी दशा में जितने समय तक चैक नहीं भुनाया जाता है, वह साख का काम करता है।

Q:- What is commercial Bank? Explain the functions of its.
व्यापारिक बैंक क्या है? इसके कार्यो का वर्णन कीजिए।

Ans:- सामान्य रूप से व्यापारिक बैंक का तात्पर्य वैसे बैंक से है जो भारतीय कम्पनी अधिनियम के अनुसार लाभ के उद्देश्य से साख का विक्रय करते है।

आक्सफोर्ड शब्द कोष के अनुसारः– ''व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो ग्राहको के आदेश पर उनके धन को सुरक्षित रखती है।''

जबकि प्रो0 क्राउथर ने कहा है किः– '' व्यापारिक बैंक यह संस्था है जो अपनी स्वयं की तथा जनता की साख का व्यापार करती है।''

उपरोक्त दोनों परिभाषाओं में आक्सफोर्ड शब्दकोष की परिभाषा उचित प्रतीत नहीं होता बल्कि प्रो0 क्राउथर की परिभाषा उचित एवं श्रेष्ठ प्रतीत होता है इन्होंने अपनी परिभाषा में जमा स्वीकार करने ऋण देने एवं साख निर्माण का उल्लेख है। भारत में व्यापारिक बैंक का आश्य उन बैंको से है जिनकी स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कि गई है। इसी कारण उन्हें मिश्रित पूँजी वाले बैंक भी कहा जाता है। भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित बैंक व्यापारीक बैंक होते है जैसे राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक तथा अन्य भारतीय अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंक।

वाणिज्यिक बैंक के कार्य
Functions of Commercial Banks

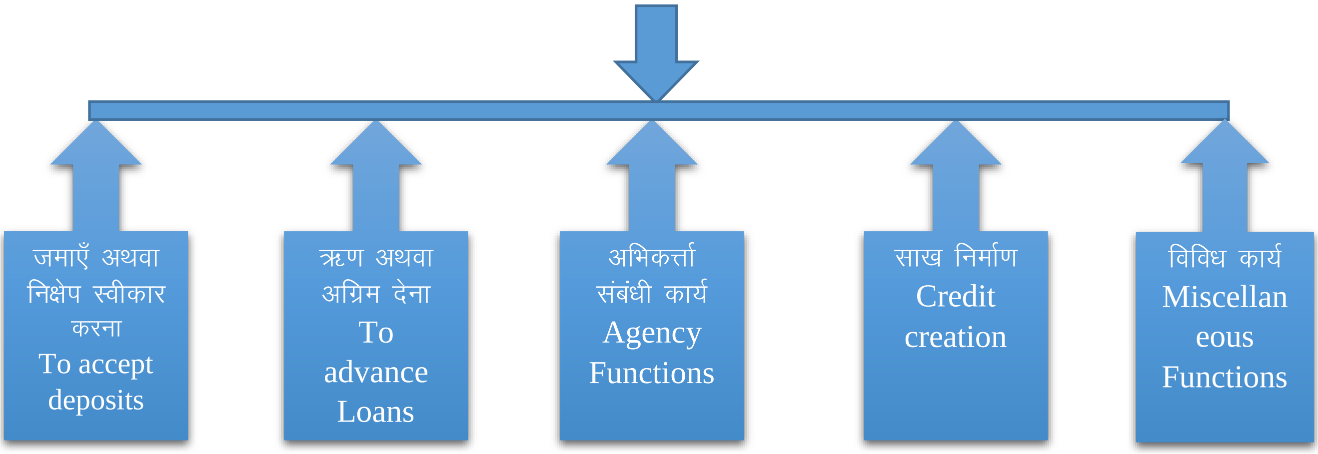

(I) जमाएँ अथवा निक्षेप स्वीकार करना (To accept deposits) :-

आज के समय में जनता से जमाएँ स्वीकार करना बैंक का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक कार्य है। बैंक विभिन्न प्रकार की जमा योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गो की जमा राशि को आकर्षित करने में रूची लेता है। बैंक में जब रकम जमा करते हैं, तब उन्हें व्याज मिलता है। व्यापारिक बैंक निम्न खातों पर रकम जमा कराने की सुविधा देते है।

(a) चालू खाता (current Account)
(b) बचत खाता (Savings Bank Account)
(c) गृह बचत खाता (Home Saving Account)
(d) स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit Account)

(II) ऋण अथवा अग्रिम देना (To advance Loans):-

बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण, कार्य ऋण देना है। वास्तव में जमा प्राप्त और ऋण प्रदान करना इन दोनों कार्यो पर वर्तमान बैंको का संपूर्ण ढाँचा खड़ा हुआ है। व्यापारिक बैंक प्रायः उत्पादक कार्यो के साथ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण देते है इन ऋणों की व्याज दर उँची होती है। और इसी व्याज से बैंक का खर्च चलता है।

(III) अभिकर्त्ता संबंधी कार्य (Agency functions):-

व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के लिए अभिकर्त्ता संबंधी कार्य भी करता है। इन बैको के अभिकर्त्ता संबंधी कार्य निम्न है

(a) भुगतान का संग्रह (Collection of payments):- बैंको द्वारा अपने ग्राहकों की और से लाभांश व्याज, कमीशन आदि की वसुली की जाती है। यह कार्य करने के लिए बैंक कमीशन वसूल करता है।
(b) धन का हस्तान्तरण (Transfer of money):- ग्राहकों द्वारा आदेश देने पर बैंक कम व्याज पर एक स्थान से दुसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था करता है और इसके बदले में वे थोड़ा सा शुल्क लेता है।
(c) अंशो या प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय (Purchase & sale of Securities & Shares) ग्राहकों के आदेश पर बैंक ग्राहकों के अंशो, ऋणपत्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिभुतियों आदि का क्रय–विक्रय करते है''।
(d) ग्राहकों की और से भुगतान
(e) चैक, विपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों आदि का संग्रहण
(f) संरक्षण प्रबंधक आदि का कार्य
(g) ग्राहक के अंशो पर लाभांश वसुल करना
(h) साख निर्माण (credit creation):- व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य साख निर्माण है।
(iv) विविध कार्य (Miscellaneous Functions):- व्यापारिक बैंक विविध कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रमुखता से करता है।
(a) आंतरिक तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त प्रदान करना
(b) विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय
(c) बैंकिग शिक्षा व प्रशिक्षण
(d) साख संबंधी सूचनाएँ देना
(e) मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा
(f) आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन
(g) यात्री चैक तथा साख की सुविधा देना
(h) व्यक्तिगत साख की सुविधाएँ
(i) विनिमय विपत्रों को स्वीकार करना।

Q:- What is meant by Branch Banking? Describe the merits and demerits of branch banking system.

शाखा बैंकिंग से क्या आश्य हैं? शाखा बैंकिग प्रणाली के गुण एवं दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

Ans:- शाखा बैंकिंग का तात्पर्य एक बैंकिंग प्रणाली है जिसमें एक बैंकिग संगठन, अपने शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में और विदेशों में भी अपने ग्राहको को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, शाखा बैंक एक प्रकार की बैंकिंग प्रणाली है जिसके तहत् बैंकिग संचालन शाखा नेटवर्क की मदद से किया जाता है और शाखाओं को बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा अपने जोनल या क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। प्रशासनिक सुविधों के दृष्टि से प्रधान कार्यालय के अलावा क्षेत्रीय कार्यालय भी होते है।

हमारे देश में अधिकांश व्यापारिक बैंक 'शाखा बैंकिंग' प्रणाली के अन्तर्गत है। भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया आदि सभी प्रमुख व्यापारिक बैंको, की शाखाओं का जाल पूरे देश में फैला हुआ है।

शाखा बैंकिग के गुण या लाभ (Merits/Advantages of Branch Banking):- शाखा बैंकिंग की लोकप्रियता के प्रमुख कारण इस व्यवस्था में निहित अग्र विशेषताएँ या गुण हैं:–

(i) संगठन की कार्यकुशलताः कुशलता की दृष्टी से शाखा बैंकिग सर्वक्षेष्ठ प्रणाली हैं केन्द्रिय प्रबंध के अन्तर्गत शाखाओं के प्रबंध व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य करती है।

(ii) वृहत्ताकार संगठनः– शाखा बैंक्रिग के अन्तर्गत संगठन का आकार वहा होने से बड़े पैमाने पर उत्पादन के समस्त मितव्ययिताएँ प्राप्त होती है जिससे न्यूनत्तम प्रति इकाई लागत पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकती है।

(iii) नीतियों एवं कार्य प्रणालियों में एकरूपताः– समस्त शाखाएँ एक ही केन्द्रिय व्यवस्था के अन्तर्गत होने से नीतियों एवं कार्य प्रणालियों में एकरूपता बनाए रखना का संभव होता है।

(iv) बैंकिग सेवाओं का विस्तारः– शाखा बैंकिंग के अर्न्तगत एक बैंक विदेशो से लेकर देश के सुदूर अंचलो तक में अनेक स्थानों पर अपनी शाखाएँ खोलता है जिससे बैंकि सेवाओं का व्यापक विस्तार सीाव हो पाता है।

(v) माँग एवं पूर्ति का समायोजनः– एक ही बैंक की शाखाऐं अलग–अलग स्थानों पर फैली होने के कारण से एक स्थान विशेष की वित्तीय माँग की पूर्त्ति दूसरे स्थान की पूर्त्ति द्वारा सामायोजित करना संभव हो पाता है।

(vi) जोखिम का भौगोलिक वितरणः– शाखा बैंकिग का प्रमुख लाभ यह है कि विभिन्न शाखाएँ अलग स्थानों भौगोलिक क्षेत्रों में काम करती है। यदि कुछ शाखाएँ अलानप्रद क्षेत्रों में हो तथा हानि उठा रही हो तो उनकी हानि की पूर्त्ति की अन्य लाभप्रद शाखाओं के लाभ से हो जाती है।

(vii) अन्य लाभः– शाखा बैंकिंग के उपरोक्त लाभ के अतिरिक्त कुछ लाभ निम्न हैं:

(a) जब बैंक की शाखाएँ विदेशों में हो तो उस बैंक के माध्यम से आयात–निर्यात के विदेशी व्यापार में सुविधा रहती है।

(b) बैंक की शाखाएँ विभिन्न स्थानों पर फैली होने से बैंक का सम्पर्क क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो जाता है जिससे उस बैंक को जमाएँ–आकृष्ट करने तथा अपने अन्य बैंकिग कार्यो को करने में सहायता मिलती है।

(c) शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत बैंकिंग व्यवसाय का आकार विस्तृत हो जाता है तथा वृहताकार व्यवसाय के अर्न्तगत श्रम विभाजन एवं विशिष्टिकरण के लाभ प्राप्त होने लगते है।

शाखा बैंकिग के दोष (Demerits of Branch Banking):-

(i) प्रबंध एवं प्रशासनिक कठिनाईयांः—शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत व्यवसाय का आकार बहुत अधिक हो जाता है जिसका सक्षम प्रबंध करना कठिन हो जाता है। विभिन्न शाखाओं के कार्यो में परस्पर (समन्वय स्थापित करना तथा उन पर सक्षम नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है प्रबंध की थोड़ी सी भी अकुशलता के व्यापक दुष्परिणाम होते है।

(ii) पूँजी का केन्द्रियकरणः— शाखा बैंकिंग से पूँजी के केन्द्रियकरण एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है।

(iii) दुर्बल एवं बीमार शाखाऐंः— केन्द्रियकृत व्यवस्था के अन्तर्गत दुर्बल एवं बीमार शाखाऐं लाभार्जन करने वाली अन्य कुशल शाखाओं से पोषण प्राप्त कर जीवित बनी रहती है। इससे अक्षमता का प्रोत्साहन मिलता है।

(iv) पूँजी का अवांछनीय प्रवाहः—कभी कभी ऐसा भी हाता है कि शाखाओं के माध्यम से छोटे—छोटे स्थानों से एकत्रित की गई बचत उन बड़े—बड़े स्थानों पर हस्तांतरित की जाती है जहाँ उनका विनियोजन बैंक की दृष्टी से अधिक लाभप्रद है। इसका परिणाम यह होता है कि विकसित क्षेत्र अविकसित क्षेत्रों से पोषण प्राप्त कर और अधिक विकसित होते जाते है तथा क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलता है।

(v) लोच एवं स्थानीय पहल का अभावः—शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत नीतियाँ एवं समस्त महत्वपूर्ण निर्णय प्रधान कार्यालय द्वारा लिये जाते है जिनका पालन सभी शाखाओं को करना पड़ता है इसका परिणाम यह होता है कि शाखा के स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के अणुरूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं रहती तथा शाखा के स्तर के प्रबंधक या कर्मचारियों में पहल करने तथा स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती ।

(vi) बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव तथा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा :— अनेक बार ऐसा ही होता है एक स्थान या छोटे से क्षेत्रों में अनेक बैंक अपनी शाखाऐं खोल देती है तथा व्यापार हेतु परस्पर अवस्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा करने लगते हैं। इससे बैंकिंग सुविधाओं का अनावश्यक दाहराव होने लगता है।

Q:- Distinguish between Money Lenders and Indigenous Bankers.
सहुकार एवं देशी बैंकर के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Ans:- साहुकार एवं देशी बैंकर के बीच अन्तर स्पष्ट करने पूर्व यह जान लेना अति आवश्यक हो जाता है कि साहुकार एवं देशी बैंकर का अर्थ क्या हैं? जहाँ तक सवाल है कि साहुकार का अर्थ साहुकार वह समुह या व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत तौर पर कर्ज मुहैया कराता है। वह बैंक या किसी वित्तीय संस्था से अलग होता है और उनसे कई अधिक व्याज वसूलता है वह बैंक रहित क्षेत्रों में कर्ज देने के अहम भुमिका र्निमाता है।

देशी बैंकर उन व्यक्तियों या निजी फर्मो को कहते हैं जो धन जमा पर स्वीकार करते हैं रकम उधार देते है और देशी इण्डियों में व्यवसाय करते है।

साहुकार और देशी बैंकर में अन्तर

D/b Money lenders & Indigenous Bankers

साहूकार	देशी बैंकर्स
(i) साहूकार अधिकत्तर उपभोग के लिए ऋण देते है।	जब देशी बैंकर्स व्यापार और उद्योग को वित्तीय सहायता या ऋण देते है।
(ii) साहूकार मुख्य रूप से ऋण देने का कार्य करता है, बहुत कम मात्रा में धन जमा पर स्वीकार करते है।	जबकि देशी बैंकर्स जनता से रूपया उधार लेते है, इण्डियो का लेन–देन करते है तथा धन उधार देते है।
(iii) साधारण साहूकार ऋण पर अधिक व्याज लेते है।	जबकि देशी बैंकर्स का व्याज की दर कम होती है।
(iv) साहुकार लोग कृषि कार्यो, विवाह उपभोग आदि सभी के लिए ऋण देते है।	जबकि देशी बैंकर्स मुख्य रूप से उद्योग व व्यापार की सहायता के लिए ऋण देते है।
(v) साहुकार या महाजन रूपये के लेन–देन के साथ–साथ व्यापार करता है।	जबकि देशी बैंकर्स केवल बैंकिंग कार्य करता है।
(vi) साहुकार का कार्य व्यवस्थित नहीं होता है।	जबकि देशी बैंकर्स का कार्य व्यवस्थित होता है।

Q:- Discuss the functions of RBI.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यो की व्याख्या करें।

Ans:-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केन्द्रिय बैंक है जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अन्तर्गत की गई थी तथा जिसने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने 1948 में रिजर्व बैंक (सार्वजनिक अधिकार में हस्तान्तरण) अधिनियम पोस कर सन् 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया।

Functions of Reserve Bank

रिजर्व बैंक के कार्य

रिजर्व बैंक एक सामान्य व्यापारिक बैंक न होते हुए देश का शीर्षस्थ बैंक है तथा यह बैंक वे समस्त कार्य करता है जो एक केन्द्रिय बैंक के होते हैं। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्न है:–

(1) नोटो का निर्गमन (Issue of Notes):- भारत में एक रूपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा तथा शेष नोटो (2रू0, 5रू0, 10 रू0, 20रू0, 50रू0, 100रू0, 200रू0, तथा 500रू0 आदि) का निर्गमन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

(2) साख का नियमन एवं नियंत्रण (Regulation & Control of credit):- केन्द्रिय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार साख का नियमन करना है। रिजर्व बैंक केवल अनुसूचित बैंको को ही ऋण देता है। इस नाते गैर सूचित बैंको एवं देशी बैंकरों तथा साहुकारो की साख पर इस का कोर्ठ नियंत्रण नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर नीति

(Bank Rate Policy) खुले बाजार की क्रियाओं (open Market operations), नकद कोषानुपात (CRR) चयनित साख नियत्रंण (Selective credit control) तथा नैतिक दबाव (Moral Pressure) आदि विभिन्न उपायों द्वारों साख का नियमन करता है तथा सिथरता के साख विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से सहयोग देता है।

(3) सरकार का बकर (Banker to Government):- रिजर्व बैंक भारत के केन्द्रिय तथा राज्य सरकारों के बैंकर प्रतिनिधि एवं परामर्श दाता के रूप में कार्य करता हैं यह बैंक केन्द्रिय एवं राज्य सरकार की समस्त आय जमा करता है व्ययों का भुगतान करता है तथा सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करता है।

(4) बैंको का बैंकर (Banker's Bank):- रिजर्व बैंक के व्यापारिक, सहकारी एवं क्षेत्रीय बैंको के बैंकर का कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक सीाी अनुसूचित बैंको को पुनर्वित की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंको के नकद कोष (C.R) जमा रखता है, उनके विनिमय विपत्रों को बट्टे पर भुनाता है तथा सरकारी प्रतिभुतियों की प्रत्यामुति पर उन्हें ऋण देता है।

(5) बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण(Regulation & Control of Banking system):-देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था रिजर्व बैंक के नियमन एवंि नयंत्रण के अर्न्तगत कार्य करती है। इस हेतू रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत अत्यंत व्यापक अधिकार प्राप्त है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार अग्रांकित हैं:–
(a) लाइसेंस (b) प्रबंध (c) सरल कोष (d) शाखा विस्तार (e) निरीक्षण
(f) अवसायन एवं विलियन (liquidational Merger)

Q:- नार्बाड क्या है? विस्तार पूर्वक वर्णन करें।
What is NABARD? Explain.

Ans:-14 प्रमुख बैंको के राष्ट्रीयकरण तथा कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम (Agricultural Re-finance & development Corporation) की स्थापना के उपरान्त भी कृषि वित्त की प्रभावकारी व्यवस्था नहीं की जा सकी भारत सरकार की प्रेरणा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि एवं ग्रामीण विकास में संस्थागत वित्त (Institutional Finance) के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु शिवरामनसमिति (Shivaraman committee) की नियुक्ति की 1 मार्च 1971 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने सुझाव दिया कि कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित समस्त समस्याओं के निराकरण हेतू आवश्यक धन की व्यवस्था करने हेतू एक ऐसे शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जो कृषि वित्त के रिजर्व बैंक के दायित्व को अपने उपर ले सके। इस सिफारिश को 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना कर कार्यान्वित किया गया।

इस बैंक की स्थापना 200 करोड़ रू0 की पूँजी से की गई है जिसमें भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक की बराबर–बराबर की भागीदारी है। इसे 500 करोड़ रू0 तक बढ़ाया जा सकता है। इस बैंक ने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम (ARDC) की समसत सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्त्ति हेतू ये बैंक रिजर्व बैंक से

उधार प्राप्त कर सकता है। रिजर्व बैंक के दोनों कोषों –राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष नाबार्ड को हस्तान्तरित कर दिये गये है। यह बैंक भारत सरकार से उधार ले सकता है स्थानीय प्राधिकरणों तथा अनुसूचित बैंको से जमाऐं स्वीकार कर सकता है एवं बाजार में ऋण पत्र बॉण्ड निर्गमित कर सकता है।

Important functions of NABARD

नाबार्ड के महत्वपूर्ण कार्य

नाबार्ड रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यो को समपादित करेगा। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय साधन एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार है।

(1) कृषि एवं आय ग्रामीण क्रियाओं (जैसे कारीगरी लघु कुटीर उद्योगो आदि के नियोजनएवं विकास हेतू उपयुक्त ढाँचा (Prem work) तैयार करना

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी महत्वपूर्ण अंशो–कृषि हस्तशिल्प एवं कारीगरी, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि के लिए पुनर्वित की व्यवस्था करना।

(3) राज्य सहकारी बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को 18 माह तक की अवधि के लिए पुनवित्त स्वीकार करना जिसे विशेष प्रकरणों में 7 वर्षीय मध्यकालीन पुनर्वित में बदला जा सकता ळें

(4) भूमि विकास बैंको अनुसूचित व्यापारिक, ग्रामीण बैंको तथा राज्य सहकारी बैंको के लिए 25 बड़ी की अवधि के दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना।

(5) सहकारी समितियों के अंक क्रय करने हेतु 20 वर्ष तक की अवधि के ऋण राज्य सरकारों को स्वीकृत करना

(6) ग्रामीण समाज का गहण अध्ययन करने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतू सुझाव देने के लिए शोध एवं विकास कोष (Research & Development Fund) की स्थापना करना।

Q:- Explain the credit control methods of RBI.

भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की विधियों को समझाइए।

Ans:- प्रत्येक राष्ट्र में केन्द्रिय बैंक मुद्रा एवं साख का नियमन एवं नियंत्रण करता है। रिर्जव बैंक द्वारा मुद्रा व साख का नियंत्रण को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है।

रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा व साख का नियंत्रण

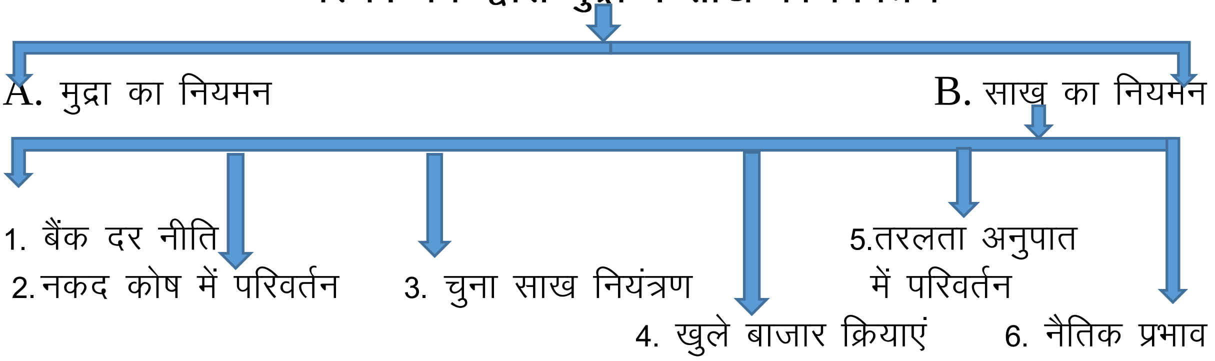

(A) मुद्रा का नियमन (Regulation of currency):- रिजर्व बैंक में पृथक से नोट निर्गमन विभाग की स्थापना करके मुद्रा के निर्गमन पर एक मात्र एकाधिकार प्राप्त किया है। चलन के पीछे स्वर्ण एवं सरकारी प्रतिभूति को आड़ के रूप में रखा जाता है। प्रारंभ में अनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई गई परन्तु बाद में 1957 ई में संशोधन करके न्यूनत्तम कोष प्रणाली को अपनाया गया जिससे 200 करोड़ रूपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाऐंगी।

संकटकाल में विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा को समाप्त किया जा सकता है।इस प्रकार वर्तमान मे भातीय मुद्रा प्रणाली अत्याधिक लोचदार है जिसमें आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में क्रियाशील मौद्रिक नीति की आवश्यकता होती है।

1951 से देश में आर्थिक विकास के लिए नियोजन के मांग का अपनाया गया है जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि देश की मौद्रिक नीति योजना बद्ध विकास की आवश्यकताओं के अनुरू‌‍ हो अतः 1952 में अपनी मौद्रिक नीति के दो उद्देश्य बताए गये–

(a) आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करना।

(b) देश में मुद्रा– स्फीति संबंधी दबावों को कम करना

(B) साख का नियामन (Regulation of Credit):- रिजर्व बैंक द्वारा साख नियमन संबंधी निम्न उपाय अपनाये जाते हैंः–

(i) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy):- जिस दर पर केन्द्रिय बैंक विनिमय बिलों का क्रय विक्रय पुनः कटौती एवं सरकारी प्रतीाूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करें उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर में परिवर्तन करने से बाजार की व्याज दरें प्रभावित होती है और परिणामस्वरूप साख की मात्रा प्रभावित होती है स्वतंत्रता के समय सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया गया लेकिन बढ़ते–घटते हुए आज 22 मई 2020 से बैंक दर 4.25% कर दिया है।

(ii) नकद कोष में परिवर्तन (Change in Cash Reserves):- रिजर्व बैंक को सदस्य बैंको मे नकद कोषों में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। प्रत्येक बैंक की अपनी माँग दायित्व का 5% व काल दायित्व का 2% नकद कोष रिजर्व बैंक से जमा करना होता है 119494 में बैंकिंग कम्पनी अधिनियम में परिर्वतन करके रिजर्व बैंक के पास चालू खाते खोलने का अधिकार दिया गया बैंको के पास पर्याप्त मात्रा में नकद काल होने से रिजर्व बैंक द्वारा नकद काल में परिवर्तन करने से साख नियंत्रण नीति अधिक प्रभावशाली न हो सकी अतः इस कोष का दूर करने के उद्देश्य से 1956 ई0 रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करके काल दायित्व का प्रतिशत 2% से बढ़ाकर 8% तथा माँग दायित्व का प्रतिशत 5% से बढ़ाकर 20% तक कर सकता था सितम्बर 1962 में अधिनियम में संशोधन करके वह परिवर्तन किया गया कि बैंको का माँग दायित्व व काल दायित्व का केवल 3% भाग ही जमा करना होगा जिसे 15% तक बढ़ाया जा सकता है। 1956 के संशोधन अधिनियम में रिजर्व बैंक के अतिरिक्त धन जमा करने के अधिकार दिये गये। सन् 1973 के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने इस अधिकार को दो बार उधार चुकाने

के लिए प्रयोग किया इसके बाद रिजर्व बैंक में कई बार इस परिवर्तन अनुपात में परिवर्तन किया। इस प्रकार नकद कोष में परिवर्तन करके साख का नियंत्रण किया जाता है।

(iii) चुना साख नियंत्रण (Selective credit control):- साख का नियंत्रण विशिष्ट कार्यो के लिए करने पर उसे चुना साख नियंत्रण कहते है। एक विकसित राष्ट्र में नियंत्रण को उद्देश्य आवश्यक कार्यो को प्रोत्साहित करना है रिजर्व बैंक देश में बैंको की ऋण नीति को निर्धारित कर सकता है अतः रिजर्व बैंक–बैंको को यह आदेश दे सकता है कि निश्चत कार्यो के लिए ऋण प्रदान किया जाना चाहिए अतः साख का नियंत्रण इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि सट्टे के व्यवहारों को रोका जा सके तथा देश का अधिक विकास संभव किया जा सके।

(iv) खुले बाजार की क्रियाएँ (open Market operations):- इसमें रिजर्व बैंक द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार की नीति का पालन किया जाता है। जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा खुले तौर पर प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री की जाती है। अतः साख कम करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियाँ बचा जाता है तथा साख में करने के लिए प्रतिभुतियों को खरीदा जाता है तथा बैंको को अधिक मात्रा में धन दिया जाता है परिणामस्वरूप साख का विस्तार हो जाता है। यह नीति काफी सफल रही ।

रिजर्व बैं की धारा 17(8) के अनुसार रिजर्व बैंक को खुले बाजार की क्रियाओं के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं–

(a) साख रू0 से कम मूल्य के विदेशी विनिमय का क्रय–विक्रय रिजर्व बैंक कर सकता है।

(b) रिजर्व बैंक केन्द्रिय या राज्य सरकार की किसी भी अवधि की प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय कर सकता है।

(c) रिजर्व बैंक ऐसे व्यापारिक बिलों को खरीद, बेच या भुना सकता है जिन पर कम से कम दो प्रतिष्ठित हसताक्षर हो। इनकी अवधि 90 दिन व कृषि संबंधी बिलों की अवधि 15 माह तक हो सकती है।

(v) तरलता अनुपात में परिवर्तन (Change in liquidity ratio):- रिजर्व बैंक देश के अनुसूचित बैंको को एक न्यूनतम तिरलता अनुपात बनाये रखने के आदेश देता है जो कि कम से कम 25% होना चाहिए। परन्तु भारत में बैंकिग कम्पनियाँ प्रारंभ से ही इससे अधिक मात्रा में तरलता अनुपात रखे हुए है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने बैंको के तरलता अनुपात मे परिवर्तन कर के उन्हें बैंकिग सिद्धांत के आधार पर सुदृढ़ ही नही बनाया बल्कि देश मे साख की मात्रा का उचित ढंग से नियमक एवं नियंत्रण भी किया जाता है। वर्त्तमान अर्थात 7 अगस्त 2020 को वैधानिक तरलता अनुपात 18.5% है।

(vi) नैतिक प्रभाव (Moral Saulation):- रिजर्व बैंक अन्त में नैतिक प्रभाव की नीति का पालन कर के साख की मात्रा को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दो बैंको की सभाऐं बुलाई जाती है तथा बैंको से साख की मात्रा को कम करने के लिए नैतिक दबाव डाला जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण

सामने आये है जबकि रिजर्व बैंक ने इस विधि द्वारा साख का नियमन एवं नियंत्रण किया है

****